न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 61/2018

1. हरीसिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति जाट निवासी भवनपुरा, तह0 व जिला भरतपुर।

..................वादी

बनाम

1. करतार सिंह
2. बलवीर सिंह } **पुत्रगण रघुवीर सिंह जाति जाट**
3. रघुवीर पुत्र कन्हैया जाति गडरिया (मृतक)
3/1. भगवानसिंह
3/2. वकील
3/3. चन्द्रप्रकाश
3/4. हुकमसिंह } **पुत्रगण रघुवीर जाति गड़रिया**
3/5. हीरामन
3/6. राधा
3/7. राजो } **पुत्रियान जाति रघुवीर जाति गड़रिया**
4. हरीसिंह पुत्र कन्हैया
5. चन्दन पुत्र कन्हैया (मृतक)
5/1. उर्मिला देवी } **पुत्रियान चन्दन जाति गड़रिया निवासीयान**
5/2. शकुन्तला देवी } **भवनपुरा तह0 व जिला भरतपुर।**
6. पायल पत्नी प्रशान्त कुमार जाति जाट निवासी ग्राम जघीना तह0 व जिला भरतपुर।

..................प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—53 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः— 20—09—2019

वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—53 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण आराजी खसरा नंबर 9816 रकबा 16 एयर, 9817 रकबा 10 एयर, 9818 रकबा 16 एयर, 9819 रकबा 18 एयर, 9820 रकबा 18 एयर, 9831 रकबा 14 एयर, 9832 रकबा 19 एयर, 9838 रकबा 1 एयर, 9839 रकबा 12 एयर,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9840 रकबा 20 एयर, 9840/10498 रकबा 4 एयर, 9846 रकबा 7 एयर, 9865 रकबा 29 एयर, 9866 रकबा 25 एयर वाके ग्राम भवनपुरा तहसील व जिला भरतपुर की बावत पेश किया। जिसे न्यायालय द्वारा दि0 24.05.2010 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार भरतपुर से कुरा रिपोर्ट चाही गई, जिसकी पालना में तहसीलदार भरतपुर द्वारा पत्रांक भू.अ./10 दि0 30.06.2010 से प्रथम कुरा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। किंतु प्रतिवादीगण के एतराज पर कुरा रिपोर्ट तहसीलदार भरतपुर से पुनः प्राप्त की गई जो उनके पत्रांक भू.अ./2019/4843 दि0 20.08.2019 के संलग्न प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली है। उक्त कुरा रिपोर्ट पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की सहमति से दावा वादी अंतिम डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी निम्नानुसार कुरेवार अंतिम डिक्री किया जाता है।

कुरा नं0 1– वाके ग्राम भवनपुरा तह. भरतपुर स्थित खसरा नंबर 9846/0.07, 9840/0.20, 9839/1/0.04, 9848/2/0.24, 9820/1/0.08, 9831/1/0.11, 9838/0.01 किता 7 रकबा 0.75 हैक्टेयर हरीसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी भवनपुरा के खाते में रहेगा।

कुरा नं0 2– वाके ग्राम भवनपुरा तह. भरतपुर स्थित खसरा नंबर 9818/0.16, 9819/0.18, 9839/2/0.04, 9848/1/0.13, 9832/2/0.11, 9866/2/0.18 किता 6 रकबा 0.80 हैक्टेयर करतारसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी भवनपुरा (राहिन हिस्सा पूर्ण पी.एन.बी. शाखा जघीना) के खाते में रहेगा।

कुरा नं0 3– वाके ग्राम भवनपुरा तह. भरतपुर स्थित खसरा नंबर 9816/0.16, 9817/0.10, 9839/3/0.04, 9820/2/0.10, 9831/2/0.03, 9832/1/0.08, 9865/2/0.11, 9866/1/0.07 किता 8 रकबा 0.69 हैक्टेयर बलवीरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति जाट

Web Copy - Not Official

निवासी भवनपुरा (राहिन हिस्सा पूर्ण पी.एन.बी. शाखा जघीना) के खाते में रहेगा।

कुरा नं0 4— वाके ग्राम भवनपुरा तह. भरतपुर स्थित खसरा नं0 9865/1/0.18 पायल पत्नी प्रशान्त कुमार जाति जाट निवासी जघीना की खातेदारी में रहेगा।

कुरा नं0 5— वाके ग्राम भवनपुरा तह. भरतपुर स्थित खसरा नं0 9840/10498/0.04 में हरीसिंह पुत्र कन्हैया हिस्सा 1/3, व वकील, चन्द्रप्रकाश, हीरामन, हुकमसिंह, भगवानसिंह पुत्रगण रघुवीर सिंह, राधा व राजो पुत्रियान रघुवीर सिंह हिस्सा बराबर 1/3 एवं उर्मिला देवी, शकुन्तला देवी पुत्रियान चन्दनसिंह हिस्सा 1/3 जाति गड़रिया निवासी भवनपुरा के शामिल कुरे की खातेदारी में रहेगा।

कुरा रिपोर्ट निर्णय/डिक्री के जुज रहेगी। तदनुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official